



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1. **District (ज़िला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Hisar **Year (वर्ष):** 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0024

Date (दिनांक): 14/07/2026

14:55

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 **Day (दिन):** Tuesday **Date from (दिनांक से):** 14/07/2026 **Date To (दिनांक तक):** 14/07/2026

Time Period (समय अवधि): Pahar 5 **Time From (समय से):** 12:25 hrs **Time To (समय तक):** 12:25 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 14/07/2026 **Time (समय):** 14:25 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 012 **Time (समय):** 14/07/2026 14:25 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): WEST, 60 Km(s) Beat No. (बीट सं.):
- (b) Address (पता): SV AND ACB UNIT FATEHABAD,
- (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता /

सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): बलजिन्द्र सिंह
- (b) Father's Name (पिताका नाम): गुरचरण सिंह
- (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1997
- (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA
- (e) UID No. (यूआईडी सं.):
- (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) Occupation (व्यवसाय):

- (h) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	फतेहपूरी, SADAR TOHANA, FATEHABAD, HARYANA, INDIA



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

2	Permanent Address	फतेहपुरी, SADAR TOHANA, FATEHABAD, HARYANA, INDIA
---	-------------------	--

(i) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)
1	सत्यनारायण UDC		
2	विनोद कुमार क्लर्क		

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Sub Type (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT **(Under Section 173 B.N.S.S)**

प्रथम सूचना रिपोर्ट

सेवा में

इन्सपेक्टर साहब

विजलैस विभाग

फतेहाबाद ।

श्रीमान जी,

निवेदन यह है कि मैं बलजिन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह वासी गांव फतेहपुरी तहसील टोहाना जिला फतेहाबाद का रहने वाला हूं । मेरे पिता जी पांच भाई हैं । करीब तीन वर्ष पहले मेरे पिता जी व उनके भाईयों ने आपसी रजामंदी में अपनी जमीन की तकसीम करवाई थी । तकसीम के दौरान यह फैसला हुआ था कि जिसके हिस्से में जो जमीन आयेगी उसमें जो ट्युबैल लगा होगा उस ट्युबैल कनैक्शन को अपने नाम पर करवा लेगा । मेरे पिता जी के हिस्से में तकसीम के दौरान जो जमीन आई थी उस जमीन पर जो ट्युबैल कनैक्शन लगा हुआ था वह बुटा सिंह पुत्र श्री रामतेज सिंह के नाम पर था । बुटा सिंह मेरे चाचा का लड़का है । वह कनैक्शन मेरे छोटे भाई हरविन्द्र सिंह के नाम पर करवाना था । बाकि तीन ट्युबैल कनैक्शन मेरे चाचा व ताउ के नाम पर थी । सभी ने मेरे से ट्युबैल कनैक्शन का नाम बदलवाने के लिये मेरे से कहा । जिसके लिये मैं करीब दो महीने पहले एस०डी०ओ० आफिस बिजली बोर्ड टोहाना गया । जहां पर मेरे को सत्यनारायण यू०डी०सी० व विनोद कुमार कर्लक मिला । सत्यानारायण यू०डी०सी० के कहने ने विनोद कर्लक ने हमारी चार फाईल विभाग के पोर्टल पर आनलाईन आवेदन कर दिया । आनलाईन आवेदन की जो सरकारी फीस थी वह मैंने भर दी थी । फिर भी हमारे कनैक्शन के नाम ट्रांसफर नहीं हुये । फिर सत्यनारायण यू०डी०सी० व विनोद कर्लक मेरे बार-2 चक्कर कटवाने लग गये । फिर दिनांक 08.07.2026 को मैं एस०डी०ओ० आफिस बिजली बोर्ड टोहाना गया जहां सत्यानारायण यू०डी०सी० मेरे को मिला । मैंने उनसे अपनी ट्युबैल कनैक्शन फाईलों के बारे में पूछा तो उसने मेरे से कहा कि आप विनोद से मिल लो मैंने उनको सब बता रखा है । फिर मैं विनोद से मिला तो विनोद ने मेरे से 15000/-रुपये की मांग की और कहा कि इसमें से कुछ सरकारी फीस बतलाई और 12000/- रुपये फाईल निकलवाने की एवज में रिश्त मांगी । मैंने काफी मिन्नते की जिस पर हमारा 12000/- रुपये में सौदा तय हो गया । फिर मैं वहां से चला गया । कुछ समय बाद विनोद ने अपने मोबाईल न० 9468413981 से मेरे मोबाईल न० 9996387687 पर काल करके अपने कार्यालय में बुलाया और कहा कि आपकी फाईले लंबे समय से लम्बित होने के कारण विभाग ने कैंन्सिल कर दी है । मैं वह फाईलों का दोबारा से आनलाईन आवेदन



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT **(Under Section 173 B.N.S.S)**

प्रथम सूचना रिपोर्ट

कर दूंगा और आपको बुला लुगा । जिस पर कल दिनांक 13.07.2026 को मैं एस०डी०ओ० आफिस बिजली बोर्ड टोहाना गया तो सत्यानारायण यू०डी०सी० मिला जिसने मुझे कहा आप विनोद से मिलो । मैंने उसको बोल रखा है । जब मैं विनोद से मिला तो उसने मुझे बताया कि एक फाईल आपकी आनलाईन आवेदन हो चुकी है बाकि को मैं कल तक आनलाईन आवेदन कर दूंगा । आपको पहले जो बतलाया था वह ले आना । आपका काम हो जायेगा । मैंने सत्यानारायण यू०डी०सी० व विनोद कर्लक की मेरे से जो रिश्त के लेनदेन की बातचीत हुई है वह रिकार्डिंग डिवाइस में रिकार्ड कर ली । जो बाद में आपको पेश कर दूंगा । मैं रिश्त की राशि सत्यानारायण यू०डी०सी० व विनोद कर्लक को नहीं देना चाहता । कृप्या दोनो के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाये ।

SD/- Baljinder Singh

प्रार्थी

बलजिन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह

वासी गांव फतेहपुरी तहसील टोहाना जिला

फतेहाबाद । मोबाईल 9996387687

14-7-2026

कार्यवाही पुलिस-कार्यवाही पुलिस- आज मन निरीक्षक हाजिर कार्यालय राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र फतेहाबाद में हाजिर हुं कि जो शिकायतकर्ता बलजिन्द्र सिंह पुत्र गुरचरण सिंह वासी फतेहपुरी, तहसील टोहाना, जिला फतेहाबाद ने हाजिर कार्यालय एक टाईपशुदा दरखास्त पेश की है । उक्त हालात बारे पुलिस अधीक्षक महोदय SVACB हिसार को बतलाए गये । जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तुरंत कार्यवाही करने बारे आदेश दिये गये तथा पुलिस अधीक्षक महोदय ने उपायुक्त फतेहाबाद द्वारा डियुटी मैजिस्ट्रेट की सुचि में से डॉ प्रवीन कुमार जिला आयुष विभाग फतेहाबाद को बतौर डियुटी मैजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकारी नियुक्त किया । उसके उपरान्त मन निरीक्षक द्वारा अपने मोबाईल न. 9467779555 से राजपत्रित अधिकारी डॉ प्रवीन कुमार जिला आयुष विभाग, फतेहाबाद के मो. न. 9068000101 पर काल करके कार्यालय राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र फतेहाबाद में हाजीर आने बारे आग्रह किया और कुछ समय पश्चात राजपत्रित अधिकारी श्री डॉ प्रवीन कुमार जिला आयुष विभाग फतेहाबाद व साथी कर्मचारी श्रीमति मीना पुनिया कलर्क कार्यालय आयुष विभाग, फतेहाबाद हाजीर आये जो शिकायतकर्ता के द्वारा पेश की गई दरखास्त के हालात से अवगत होकर मैंने उसका परिचय राजपत्रित अधिकारी डॉ प्रवीन कुमार जिला आयुष विभाग, फतेहाबाद व साथ कर्मचारी श्रीमति मीना पुनिया कलर्क से करवाया । शिकायतकर्ता द्वारा



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT **(Under Section 173 B.N.S.S)**

प्रथम सूचना रिपोर्ट

बतलाया कि मेरे चाचा, ताऊ व मेरे भाई के नाम आपसी रजामन्दी मे ट्यूबल कनेक्शन का नाम बदलवाने की एवज में सत्यनारायण UDC व विनोद कलर्क एस.डी.ओ. आफिस बिजली बोर्ड टोहाना द्वारा 12000/- रूपए की रिश्त राशी की मांग कर रहा है । शिकायतकर्ता बलजिन्द्र सिंह उक्त ने रिश्त राशी मांगने बारे आडीयो रिकार्डिंग मन निरीक्षक व राजपत्रित अधिकारी डॉ प्रवीन कुमार जिला आयुष विभाग उक्त: को सुनाई गई तथा जिसकी मैने आडीयो रिकार्डिंग रिकोर्डर डिवाईस मे की हुई है वह रिकोर्डर डिवाईस बाद में पेश करने बारे कहा तथा शिकायतकर्ता बलजिन्द्र सिंह उक्त द्वारा मन निरीक्षक को पेश की गई टाईपशुदा दरखास्त व रिश्त राशी मांगने बारे आडीयो रिकार्डिंग के मजबुन से जुर्म जेर धारा 7. पी.सी. एक्ट का होना पाया जाने पर तहरीर हजा बराए कायमी मुकदमा बदस्त स030नि0 कुलदीप सिंह न. 12 फतेहाबाद के हाथ राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो थाना हिसार मण्डल हिसार भेजी जा रही है । बाद कायमी मुकदमा न. से सुचित करें । मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट व सम्बंधीत अफसरान बाला को भिजवाई जावे । मन निरीक्षक मय राजपत्रित अधिकारी वा स्वतंत्र गवाह मय SI गीता न.71/फतेहाबाद. ASI जगबीर सिंह 990/ हिसार ASI राजेश कुमार 103/फतेहाबाद, ASI भरतलाल 1417/हिसार, L/CT खुशप्रित 1018 सिरसा मय लैपटाप/प्रिंटर, अनुसंधान किट मय गाडी सरकारी एच.आर.03 जी.बी. 7079 मय गाडी प्राईवेट के रेड की आगामी कार्यवाही में व्यस्त होता हूं।

अज: कार्यालय राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र फतेहाबाद

SD/- मनमोहन सिंह

निरीक्षक (मनमोहन सिंह)

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

उपकेन्द्र फतेहाबाद

दिनांक 14.07.2026

AT – 12.25 PM

अज थाना:- हस्ब आमद तहरीर पर कायमी मुकदमा नं. 24 दिनांक 14.07.2026 धारा 7 PC ACT थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर आरिन्दा स.उ.नि. कुलदीप 12/फतेहाबाद के हाथ वर मौका अनुसंधानकर्ता के पास भेजी जा रही है । प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां स्पैशल रिपोर्ट बजरिया EMAIL ID द्वारा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब फतेहाबाद व पुलिस अधीक्षक फतेहाबाद की सेवा में भेजी जा



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

रही हैं ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या) Rank (पद): I (Inspector)

- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):
MANMOHAN

No. (सं.): 435JND to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

Directed (Mobile No. of I.O.) (जांच अधिकारी का मोबाइल नंबर): 919467779555

- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या) District (ज़िला):

- (4) Transferred to P.S. (थाना):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14.



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

Signature / Thumb
impression
of the complainant /
informant (शिकायतकर्ता /
सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे
का निशान)

Signature of Officer in charge, Police
Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Mahender Singh

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 322H

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					Is pox pitted: Yes
2	Male					Is pox pitted: Yes



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)